

ग्रामीण सेवा शिपिर-2025



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिपिर 2025 कैम्प स्थल - करजारी

धारा अन्तर्गत - 136

रिपोर्ट

प्र.सं. 566/25 दायर दिनांक 03.10.25 निर्णय दिनांक 03.10.25

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>करजारी</u>	<u>92</u>	वर्तमान प्रविष्टी बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक	शुद्ध प्रविष्टी राजस्थान ग्रामीण बैंक	तहसालीदर कपासन की अनुशंभा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यापीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>करजारी</u> प.ह. <u>करजारी</u> खालास <u>92</u> में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
	हस्ताक्षर पत्रावली	हस्ताक्षर पत्रावली	हस्ताक्षर पत्रावली	हस्ताक्षर व मोहर बहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
	हस्ताक्षर पत्रावली	हस्ताक्षर पत्रावली	हस्ताक्षर पत्रावली	हस्ताक्षर व मोहर बहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल

करजारी

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें।

- तहसीलदार कपासन
तहसीलदार (प.अ.) कपासन